उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 3 अंक 12 16-30 नवंबर 2019 ₹ 20/-

राजीव धवन को अयोध्या केस से हटाने पर विवाद

- हज यात्रियों की संख्या में गिरावट
- वंदे मातरम की खिलाफत
- ईरान में स्थिति विस्फोटक
- महिलाओं की सामूहिक नमाज पर फतवा

भारत नीति प्रतिष्ठान के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

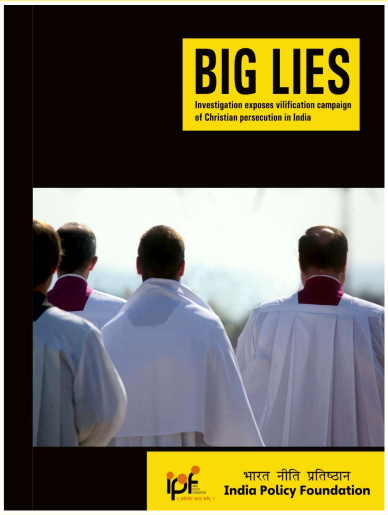

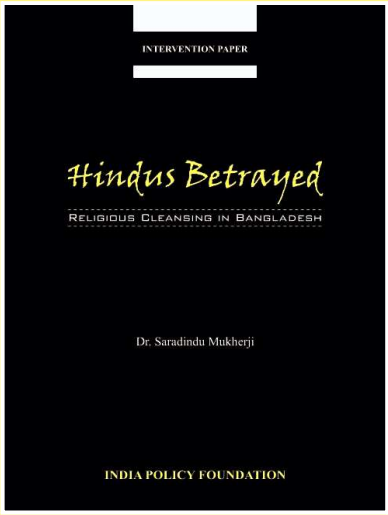

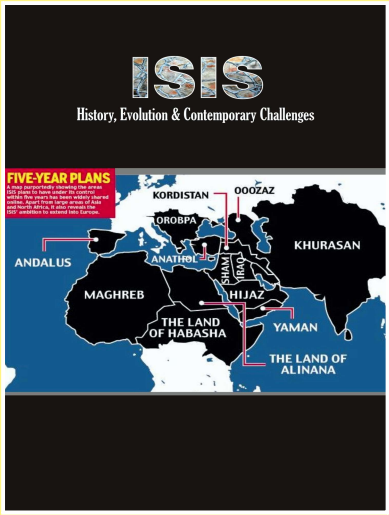

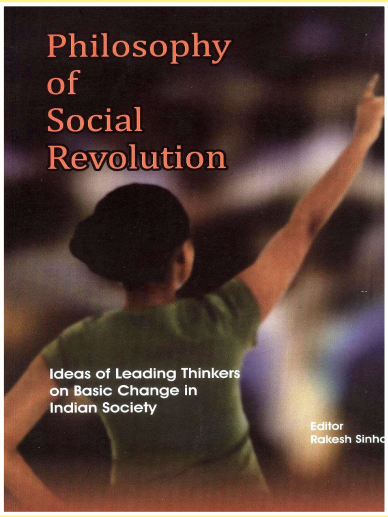

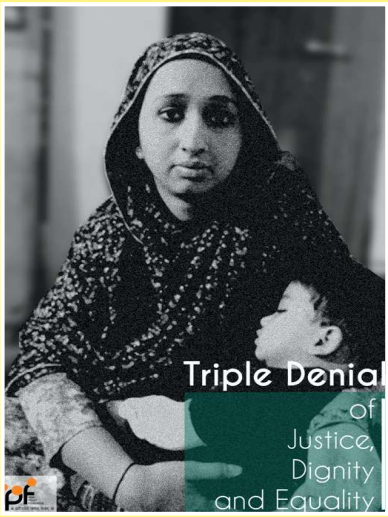

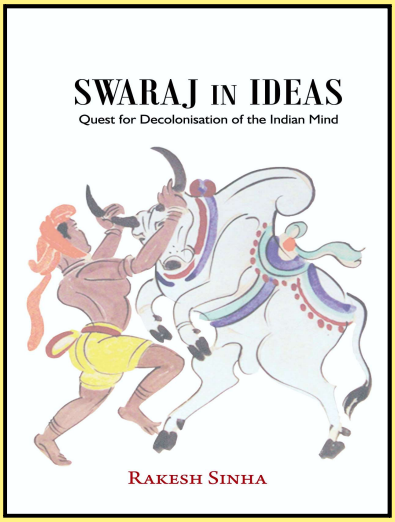

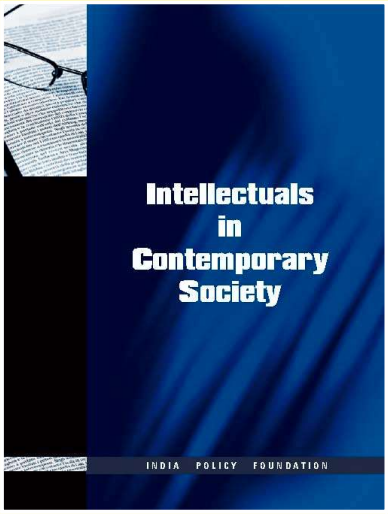

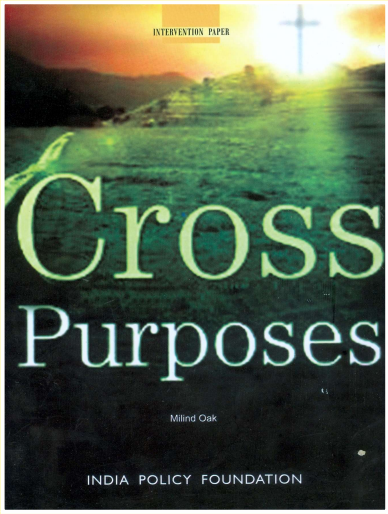

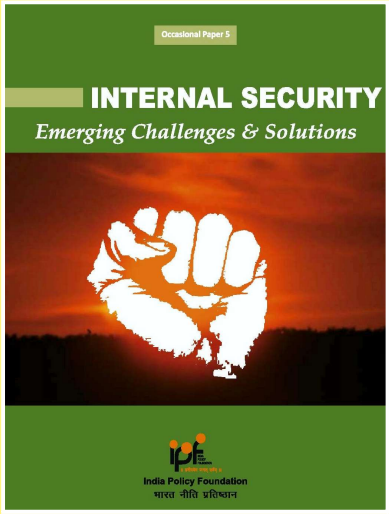

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष - 3 अंक - 12 16-30 नवंबर 2019

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा *

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

प्रसार
सुधीर कुमार सिंह
(9810821308, 011-26524018)

आवरण एवं सज्जा
सूरज भारद्वाज

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास,
नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए, डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 2

राष्ट्रीय

राजीव धवन को अयोध्या केस से हटाने पर विवाद 3
कई मुसलमान पढ़ा रहे हैं संस्कृत 5
दरगाह से अतिक्रमणकारियों को हटाने का निर्देश 6
पुनर्विचार याचिका से होगा हिन्दू मुस्लिम एकता को नुकसान 7
हज यात्रियों की संख्या में गिरावट 8

विश्व

अमेरिका की तालिबान से फिर वार्ता की घोषणा 10
घोटाले के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति को सजा 10
अंतिम मुगल सम्राट का म्यांमार में उर्स 11
लंदन में जिहादी हमले में दो मरे 11
बांग्लादेश में आतंकी हमले के मामले में सात को फांसी 12
नार्वे में कुरान के अपमान की बढ़ती घटनाएं 12

पश्चिम एशिया

ईरान में स्थिति विस्फोटक 14
इराक के प्रधानमंत्री का त्यागपत्र 15
लीबिया और तुर्की का सैनिक गठबंधन 17
इजरायली प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप 18
सुरक्षा परिषद में इस्लामिक प्रतिनिधित्व पर चिंता 19
सीरिया में धमाके से 17 मरे 21
सऊदी हेलीकॉप्टर गिराया गया 21

अन्य

सऊदी अरब में महिला मॉडल 22
अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कोर्ट में छह सांसद मनोनीत 22
पुलिस लाइन में नमाज पर विवाद 23
महिलाओं की सामूहिक नमाज पर फतवा 23
वंदे मातरम की खिलाफत 24
नहीं थम रहा है तीन तलाक 24

हालांकि आम मुसलमान इस बात के पक्ष में हैं कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसे स्वीकार किया जाए, ताकि देश में साम्प्रदायिक सद्भावना बनी रहे। संघ परिवार भी इसी दिशा में प्रयत्नशील रहा है। हैरानी की बात यह है कि जो मुस्लिम संगठन यह दावा किया करते थे कि उन्हें देश के संविधान और न्यायपालिका में पूरी आस्था है और वे न्यायालयी फैसले को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे उन्होंने ही अपना रंग बदल लिया है। जमीयत उलेमा हिन्द और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आदि कुछ मुस्लिम संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष के वकील डॉ. राजीव धवन के बारे में भी एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। धवन ने अपने फेसबुक पोस्ट में यह घोषणा की है कि जमीयत उलेमा हिन्द ने उन्हें अयोध्या केस से हटा दिया है और इसके लिए एक झूठे बहाने का सहारा लिया गया है कि उनका स्वास्थ्य खराब है। हालांकि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनकी इस घोषणा के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फौरन यह घोषणा कर दी कि अगर जमीयत अयोध्या मुद्दे पर धवन को अपना वकील नहीं रखती है तो उनकी ओर से न्यायालय में पुनर्विचार याचिका डॉ. राजीव धवन दायर करेंगे। सच्चाई यह है कि जमीयत उलेमा हिन्द की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार की जो याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऐजाज मकबूल ने दायर की है उसमें डॉ. राजीव धवन का नाम नहीं है।

यह देश की आर्थिक स्थिति का प्रभाव है या हज में मुसलमानों की घटती हुई रुचि मगर चौंकाने वाली हकीकत यह है कि अगले वर्ष के लिए हज यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों ने जो आवेदन दिया है उनकी संख्या निर्धारित कोटे से काफी कम है। विशेष रूप से देश की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में तो यही स्थिति है। कुछ वर्ष पूर्व तक हज करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या सऊदी अरब सरकार द्वारा निर्धारित हाजियों के कोटे से कई गुणा अधिक हुआ करती थी इसलिए हाजियों के नामों का निर्धारण करने के लिए लॉटरी करनी पड़ती थी और लाखों मुसलमान हज यात्रा करने से वंचित रह जाते थे।

अरब जगत में जनाक्रोश की ज्वाला बड़ी तेजी से भड़क रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस जनाक्रोश के पीछे किसका हाथ है। अरब नेता इसके लिए अमेरिका और इजरायल को दोषी ठहरा रहे हैं। सरकार विरोधी जनप्रदर्शनों के कारण इराक के प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है। कहा जाता है कि वहां पर बहुसंख्यक शिया आबादी सुन्नियों का वर्चस्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इसके जवाब में सुन्नियों ने ईरान और वहां के वासियों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। अजीब बात यह है कि ईरान में भी स्थिति दिन-प्रतिदिन विस्फोटक रूप ले रही है। वहां पर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग वर्तमान सरकार के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अब तक 400 से अधिक लोग पुलिस और सेना की गोली से मारे जा चुके हैं। कई अन्य अरब देशों जैसे लेबनान और मिस्र में भी स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ रही है।

जिहादियों की हिंसक हरकतों के कारण इस्लाम के खिलाफ यूरोप में जनाक्रोश बड़ी तेजी से भड़क रहा है। लंदन में पाकिस्तानी मूल के एक जिहादी ने दो निर्दोष लोगों को चाकू से मौत के घाट उतार दिया। नार्वे जैसे शांत देश में मुसलमानों की हरकतों के कारण कुरान को सार्वजनिक रूप से सड़कों पर जलाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अजीब बात यह है कि कुरान को हालांकि नार्वे में जलाया गया है मगर उसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों के मुसलमान कर रहे हैं।

राजीव धवन को अयोध्या केस से हटाने पर विवाद

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में जमीयत उलेमा के वकील राजीव धवन को अयोध्या केस से हटाने का विवाद दिन-प्रतिदिन नया रूप ले रहा है। इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जमीयत उलेमा की ओर से पहली पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई है। मगर इस केस में सुन्नी वक्फ बोर्ड सहित मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने वाले राजीव धवन को उनके पद से हटा दिया गया है।

इस समाचार को उर्दू समाचारपत्र **सहाफत** (4 दिसम्बर) ने मुख्य समाचार के रूप में प्रकाशित किया है। मगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राजीव धवन का खुलेआम समर्थन करते हुए कहा है कि "अगर जमीयत उलेमा ने राजीव धवन को अपने वकील के रूप में हटा दिया है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनकी सेवाएं लेगा। धवन ने जमीयत उलेमा द्वारा उन्हें वकालत से हटाए जाने की सूचना स्वयं फेसबुक पोस्ट से दी थी। धवन ने इस मामले में एक अन्य वकील ऑन रिकॉर्ड ऐजाज मकबूल पर यह आरोप लगाया था कि उन्हें इस वकील ने हटाया है और इसका कारण उनका बीमार होना बताया है। धवन ने लिखा था कि मुझे बाबरी मस्जिद के मामले से हटा दिया गया है और यह दावा किया गया है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। जो यह कारण बताया गया है वह सरासर निराधार और बेतूका है। जमीयत को इस बात हक है कि वह मुझे इस केस से हटा दे। मगर उसे मुझे असली वजह बतानी होगी। जमीयत का तर्क गलत है। अब मैं इस मामले में पुनर्विचार की याचिका या किसी भी सुनवाई में कतई शामिल नहीं हूं। मुझे बीमार कहना कोरी बकवास है। धवन ने कहा है कि मैं मुसलमानों के विभिन्न पक्षों के आपसी विवाद को हल करने के लिए नहीं हूं। मैंने कई यूनिट के तौर पर उनके पक्ष में बहस की थी। मैं मुस्लिम पक्ष को विभाजित होते हुए नहीं देख सकता। अब यह उन पर है कि वे अपने आपसी विवाद को कैसे सुलझाते हैं?"

"दूसरी ओर जमीयत के वकील ऐजाज मकबूल का कहना है कि यह कहना गलत है कि राजीव धवन को उनकी बीमारी के कारण हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि मेरे मुवक्किल पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहते थे। यह काम राजीव धवन को करना था मगर वे उपलब्ध नहीं थे। इसलिए मैं याचिका में उनका नाम नहीं दे पाया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा समाचार यह है

कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राजीव धवन को अपनी पुनर्विचार याचिका में अपना वकील बना सकता है।"

सहाफत में ही प्रकाशित एक अन्य समाचार में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महामंत्री मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने एक वक्तव्य में कहा है कि "बाबरी मस्जिद विवाद में राजीव धवन की सेवाएं अतुल्य हैं। उन्होंने जिस ईमानदारी, बेबाकी और दृढ़ता से यह मुकदमा लड़ा है वह बेमिसाल है। हालांकि एक वर्ग की ओर से उन्हें निरंतर आलोचना का निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ सोशल मीडिया में अपमानजनक अभियान चलाया गया। मगर वे अपनी बात पर डटे रहे और उससे टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पुनर्विचार याचिका बोर्ड की ओर से राजीव धवन ही दायर करेंगे और वकीलों की एक टीम उनकी सहायता में काम कर रही है।"

सहाफत में ही प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार "राजीव धवन ने कहा है कि मैंने पुनर्विचार याचिका का प्रारूप तैयार कर लिया था और इसी दौरान एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऐजाज मकबूल ने मुझे हटा दिया। इसलिए मैं इस मामले से स्वयं को अलग कर रहा हूं। हालांकि जमीयत के साथ मेरी कोई अनबन नहीं है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा है कि हमें मस्जिद की जमीन से मतलब है। मंदिर या उसको बनाने के लिए ट्रस्ट बनाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसकी जो कार्रवाई चल रही है चलती रहे। हम तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार की याचिका दायर करेंगे।"

इंकलाब (4 दिसम्बर) के अनुसार "जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि राजीव धवन ही जमीयत उलेमा की ओर से पुनर्विचार याचिका की पैरवी करेंगे। उन्होंने कहा कि धवन को मुकदमें से न तो अलग किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह सिर्फ उनकी मर्जी से होगी। मदनी ने कहा कि उनकी राजीव धवन से कोई मुलाकात नहीं हुई और न ही टेलीफोन पर कोई बातचीत हुई है। अगर कोई गलतफहमी हो गई है तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि राजीव धवन को इस विवाद से अलग कर दिया जाए। वे पिछले 20 वर्षों से हमारे वकील हैं और उन पर हमें पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि जो भी बातचीत उनकी हुई है वह एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऐजाज मकबूल से ही हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे संबंधों को खराब करना चाहते हैं। अगर कोई गलत बात हुई है तो उसके जिम्मेवार ऐजाज मकबूल हैं, मैं नहीं।"

जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि राजीव धवन ही जमीयत उलेमा की ओर से पुनर्विचार याचिका की पैरवी करेंगे। उन्होंने कहा कि धवन को मुकदमें से न तो अलग किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह सिर्फ उनकी मर्जी से होगी।

"मौलाना अरशद मदनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है जिसमें राजीव धवन की सेवाओं की सराहना की गई है और यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि बाबरी मस्जिद की मिल्कियत के मुकदमें में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऐजाज मकबूल जमीयत उलेमा की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे और पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले भी वही हैं। मगर इससे यह मतलब लगा लेना सरासर गलत है कि डॉ. राजीव धवन को इस मामले से अलग कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि डॉ. धवन देश के चोटी के वकील हैं और बाबरी मस्जिद के मुकदमें में हम उनकी सेवाओं के लिए आभारी हैं। उन्होंने पूरी ताकत के साथ न्यायालय में हमारे पक्ष में तर्क पेश किया। डॉ. धवन सेकुलरिज्म और न्यायप्रियता का एक उज्जवल उदाहरण बनकर उभरे हैं। इस मुकदमें में उन्होंने जो कुछ किया है हम कभी उसका कर्ज नहीं चुका सकते।"

कई मुसलमान पढ़ा रहे हैं संस्कृत

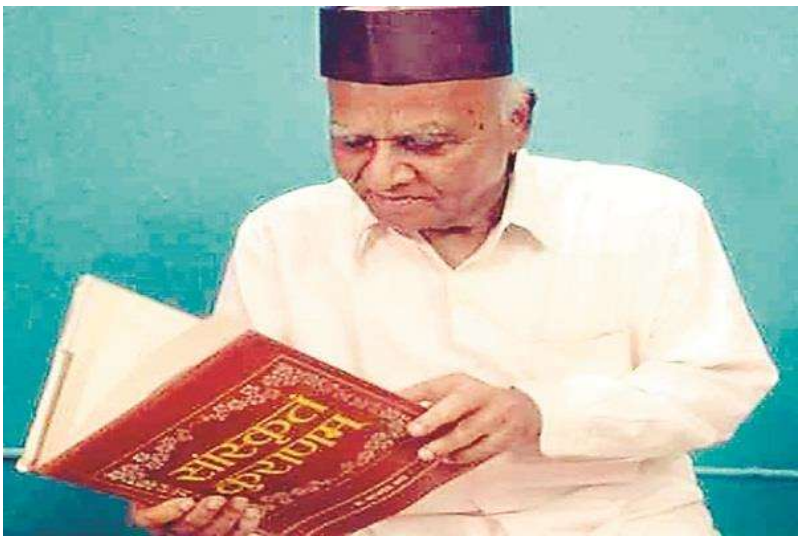

अखबार-ए-मशरिक (28 नवम्बर) के अनुसार "देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनेक मुस्लिम प्रोफेसर दशकों से संस्कृत की शिक्षा दे रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संस्कृत के विभागाध्यक्ष प्रो. मोहम्मद शरीफ पिछले दो दशक से भी अधिक समय से संस्कृत की शिक्षा दे रहे हैं। उनकी निगरानी में अनेक मुसलमानों ने अनुसंधान करके संस्कृत में पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की है। उनकी पत्नी डॉ. शाहीन जाफरी भी आजमगढ़ के सिबली नेशनल कॉलेज में संस्कृत की प्राध्यापिका हैं। बीबीसी से बातचीत करते हुए प्रोफेसर शरीफ ने कहा कि कई दशकों से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था है। प्रारम्भ में जब यह मुस्लिम एंग्लो-ओरियंटल कॉलेज होता था तब अन्य भाषाओं के छात्रों को एक रुपया प्रति महीना छात्रवृत्ति मिला करती थी। जबकि संस्कृत की शिक्षा लेने वाले को दो रुपये प्रति माह मिलते थे। यह नीति इसलिए अपनाई गई थी ताकि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा संख्या में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर सकें।"

"उन्होंने कहा कि मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में नौ प्राध्यापक हैं जिनमें दो मुसलमान और शेष सात गैर-मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहां वेद, पुराण, उपनिषद् और व्याकरण पढ़ाता हूं। उन्होंने कहा कि हालांकि पढ़ने वाले अधिकांश हिन्दू छात्र ही होते हैं मगर उनमें कुछ मुस्लिम भी होते हैं। अब तक मेरी निगरानी में पन्द्रह छात्र पीएचडी कर चुके हैं जिनमें चार मुसलमान हैं। जबकि आठ व्यक्ति इस समय पीएचडी कर रहे हैं इनमें दो मुसलमान हैं। प्रो. शरीफ ने यह भी कहा कि उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। उस समय वहां संस्कृत की विभागाध्यक्ष एक मुस्लिम महिला डॉ. नसरीन थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके घर में संस्कृत का कोई वातावरण नहीं था। मगर मुसलमान होने के कारण उन्हें न तो संस्कृत पढ़ने में कोई परेशानी हुई है और न ही पढ़ाने में।"

"उन्होंने कहा कि संस्कृत में डिलीट की उपाधि प्राप्त करने वाले वह पहले व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी ने भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी पत्नी डॉ. शाहीन ने बताया कि उनके पति पांचों वक्त के नमाजी हैं और वे नियमित रूप से कुरान पढ़ते हैं लेकिन उनके घर पर हिन्दू धर्म की अनेक पुस्तकें भी रखी हुई हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत साहित्य में जो ज्ञान का भंडार है वह विश्व के किसी भी अन्य भाषा में नहीं है। मगर खेद की बात यह है कि आज संस्कृत को मृतप्राय भाषा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि धर्म को भाषा से जोड़ना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में यह लिखा हुआ है कि धर्म और कर्मकांड के बारे में शिक्षा कोई हिन्दू ही देगा। उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि किसी मुसलमान को कर्मकांड नहीं पढ़ाना चाहिए। क्योंकि कर्मकांड के लिए किसी विशेष मानसिकता का होना जरूरी है।"

दरगाह से अतिक्रमणकारियों को हटाने का निर्देश

इंकलाब (29 नवम्बर) के अनुसार "दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक दरगाह ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्लाह और उससे सम्बन्धित कब्रिस्तान से अवैध कब्जा करने वालों को हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने वक्फ बोर्ड की आलोचना करते हुए कहा है कि बोर्ड ने स्वयं ही 2009 में यह स्वीकार किया था कि दरगाह और कब्रिस्तान पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और उन्हें हटाने का वायदा भी किया था मगर अभी तक इन अवैध कब्जों को नहीं हटाया गया है। न्यायालय ने वक्फ बोर्ड को यह भी निर्देश दिया है कि वह छह सप्ताह के भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति करे और इस नियुक्ति के तीन महीने के अंदर दरगाह और कब्रिस्तान से अवैध कब्जा करने वाले सभी व्यक्तियों को हटाया जाए। अगर वक्फ बोर्ड इस आदेश का उल्लंघन करता है तो याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में पुनः संपर्क करना चाहिए।"

"नबी करीम के रहने वाले मोहम्मद अजमल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके यह अनुरोध किया था कि दरगाह और मस्जिद पर कब्जा करने वाले सभी लोगों को हटाया जाए। इसी संदर्भ में बदर समदानी नामक एक अन्य व्यक्ति ने एक याचिका दायर की थी जिसमें यह दावा किया गया था कि इन अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ 1954 से कार्रवाई चल रही है। क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास सीईओ नहीं है इसलिए इस सम्बन्ध में अगली कार्रवाई रूकी हुई है। न्यायालय ने वक्फ बोर्ड से पूछा की सीईओ कब से नहीं है और नया सीईओ अभी तक नियुक्त क्यों नहीं हुआ है? हालांकि एक दर्जन परिवारों ने इस दरगाह पर कब्जा कर रखा है। न्यायालय ने दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह सीईओ की नियुक्ति करे और तीन महीने के भीतर वक्फ संपत्ति से कब्जा करने वालों को हटाया जाए। जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्य जमाल अख्तर से इस सम्बन्ध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में जरूरी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि उपयुक्त उम्मीदवार की खोज जारी है।"

टिप्पणी: जहां तक हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह का सम्बन्ध है वे नक्शबंदी सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे। उनके पिता काजी अब्दुल सलाम कलीगी थे और वे समरकंद के रहने वाले थे। बाकी बिल्लाह का जन्म काबूल में 1563 ई. में हुआ था। आठ वर्ष की उम्र में वे हाफिज कुरान हो गए और इसके बाद वे काबुल से दिल्ली आ गए। वहां से वे मारवा उल नाहर नामक स्थान पर चले गए जो कि उस वक्त इस्लामिक शिक्षा का मुख्य केन्द्र था। उन्होंने अपना गुरु

हजरत शेख समरकंदी को बनाया। इसके बाद वे दिल्ली चले आए और उन्होंने तअस्सुफ से संबंधित कई पुस्तकें लिखीं। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में सुल्तान बलबन द्वारा बनाई गई दरगाह कदम शरीफ में रहना शुरू किया और उन्होंने यह वसीयत की कि उनके मरने के बाद उनकी कब्र पर कोई मजार न बनाई जाए। उनके श्रद्धालुओं में मुगल सम्राट अकबर भी शामिल था। जब अकबर ने दीन-ए-इलाही चलाया तो उसका सख्त विरोध ख्वाज और उनके चेले मुजादीद अल्फि सानी ने किया। भारत में नक्शबंदी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने और उसका प्रसार करने में ख्वाजा का विशेष योगदान है। 1603 में उनका निधन हो गया और उन्हें जिला दरगाह कदम शरीफ में दफनाया गया। गुलाम वंश के दूसरे सम्राट सुल्तान बलबन ने इस दरगाह का निर्माण करवाया था। इस दरगाह में उनके बड़े बेटे फतह मोहम्मद का मजार है जो कि मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था। इसकी कब्र पर एक पत्थर मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पर हजरत मोहम्मद के पांव का चिन्ह है। यही कारण है कि इस दरगाह को दरगाह कदम शरीफ कहा जाता है।

पुनर्विचार याचिका से होगा हिन्दू मुस्लिम एकता को नुकसान

इत्तेमाद (25 नवम्बर) के अनुसार "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सैयद गैयूरुल हसन रिजवी ने कहा है कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद उस पर पुनर्विचार याचिका दायर करना देश के मुसलमानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की याचिका से हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पैदा होगा जो कि देशहित में नहीं है और इससे हिन्दुओं में यह संदेश जाएगा कि राम मंदिर निर्माण में मुसलमान जान-बूझकर रूकावट डाल रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे मस्जिद के बदले में वैकल्पिक भूमि लेने के लिए तैयार हो जाएं। इससे सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने के बाद अल्पसंख्यक आयोग में सारी स्थिति पर विचार किया गया था और सभी सदस्यों की इस बात पर सर्वसम्मति है कि मुसलमान इस निर्णय को स्वीकार कर लें और राम मंदिर निर्माण में सहयोग दें। उनके इस कदम से दोनों सम्प्रदायों में मेल-मिलाप बढ़ेगा।"

"उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिन्द ने यह घोषणा की थी कि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। यह बात पिछले कई वर्षों से कही जा रही थी। अब इन दोनों संगठनों ने अपना दृष्टिकोण क्यों बदल लिया है?

हैरानी की बात यह है कि यही लोग यह कह रहे हैं कि पुनर्विचार याचिका के रद्द किए जाने की सम्भावना है। यही कारण है कि देश का आम मुसलमान इस मुद्दे पर पुनर्विचार याचिका दायर करने के पक्ष में नहीं है। रिजवी ने पूछा है कि आखिर मुझे यह बताया जाए कि किसके फायदे के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की जा रही है? क्या कुछ लोग यह चाहते हैं कि जो मामला सुलझ चुका है उसे दोबारा उठाया जाए और मुसलमानों को इस विवाद में उलझा दिया जाए। रिजवी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सिर्फ चार सदस्य जिनमें मजलिस के अध्यक्ष ओवैसी भी शामिल हैं,

पुनर्विचार याचिका दायर करने के पक्ष में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी मुसलमानों के वोट को बटोरने के लिए जानबूझकर इस विवाद को उलझा रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम नेताओं से अनुरोध किया है कि समाज में जो सदभावना पैदा हुई है उसमें कोई रूकावट पैदा न करें।"

सहाफत (29 नवम्बर) के अनुसार ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की एक बैठक पूर्व सांसद डॉ. ऐजाज अली की अध्यक्षता में हुई जिसमें अयोध्या मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में पुनर्विचार याचिका दायर करने का विरोध किया गया और यह आरोप लगाया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी गिरती हुई साख को बहाल करने के लिए यह याचिका दायर कर रहा है और इससे देश में एक गलत संदेश जा रहा है कि मुसलमान न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अमीर मुसलमानों का संगठन है जिसका आम मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है। अब अपनी नेतागिरी की दुकान चमकाने के लिए बोर्ड गरीब और अनपढ़ मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने मजलिस के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी आलोचना की और कहा कि वे भोले-भाले मुसलमानों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं।"

हज यात्रियों की संख्या में गिरावट

इंकलाब (5 दिसम्बर) के अनुसार "आर्थिक बदहाली का असर हज यात्रियों की संख्या पर भी पड़ना शुरू हो गया है। बिहार में हज करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में कमी आई है और राज्य हज कमेटी के कार्यालय में सिर्फ 3500 व्यक्तियों ने ही हज यात्रा पर जाने के लिए आवेदन दिए हैं। कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राशिद हुसैन ने बताया कि देश की आर्थिक स्थिति और अनिश्चितता के कारण अगले वर्ष हज यात्रा के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि यदि बिहार को छोड़ भी दें तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम और अन्य राज्यों में

जहां पर हज यात्रियों की संख्या कोटे से बहुत ज्यादा होती थी तब लॉटरी डालकर हज यात्रियों का निर्धारण किया जाता था। वहां पर भी हज यात्रा पर जाने के इच्छुक व्यक्तियों में भारी गिरावट आई है।"

"जहां तक बिहार का सम्बन्ध है बिहार का कोटा 16, 630 है। मगर उसके लिए भी आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। पिछले वर्ष भी सिर्फ 5100 हाजी ही बिहार से हज पर गए थे। मस्जिदों और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हज जाने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान चलाया गया। मगर इसका कोई लाभ नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि 2010 से हज यात्रियों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। 2018 में हज जाने के इच्छुक यात्रियों की आवेदनों की संख्या 69, 83 थी जो कि 2019 में घटकर 5, 147 ही रह गई और अब इसके 4, 000 तक ही सिमट जाने की सम्भावना है। राशिद हुसैन के अनुसार इसका एक कारण यह है कि हज के खर्चे में वृद्धि हुई है। सब्सिडी खत्म होने, हवाई जहाज के किराए में वृद्धि और जीएसटी के कारण भी उस पर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, मुसलमानों में एनआरसी के कारण उत्पन्न अनिश्चितता से भी लोग परेशान हैं। मुसलमान अपनी नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेजें जुटाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हज के खर्चे को कम करने के लिए यह जरूरी है कि हज यात्रा पर एयर इंडिया का एकाधिकार खत्म किया जाए और ग्लोबल टेंडर निकाले जाएं। उनका यह भी कहना है कि जब से हज यात्रा को विदेश मंत्रालय से निकालकर अल्पसंख्यक मंत्रालय के हवाले किया गया है तब से हज यात्रियों को पासपोर्ट बनाने में परेशानी हो रही है। क्योंकि हज के किराए का निर्धारण इस बात पर भी निर्भर हो गया है कि यात्री किस स्थान से हवाई जहाज में सवार होते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर हज की अवधि को कम किया जाए तो इससे स्थिति सुधर सकती है। हज यात्रा पर होने वाले खर्च के बारे में उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि ग्रीन क्लास का किराया 2016 में 2, 17, 150 रुपया था जो कि 2017 में बढ़कर 2, 38, 400 रुपया हो गया। 2018 में इसमें और वृद्धि हुई और यह 2, 77, 800 तक पहुंच गया। इसी तरह से अजीजिया क्लास का किराया जो 2016 में 1, 83, 250 था। अगले वर्ष बढ़कर 2, 05, 000 हो गया और 2018 में यह बढ़कर 2, 43, 650 रुपये तक पहुंच गया।"

इंकलाब के इसी अंक में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार "उत्तर प्रदेश की हालत भी बिहार से अलग नहीं है। 2019 तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में लोग हज पर जाने के लिए आवेदन दिया करते थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत अधिक है। इसलिए केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए हाजियों का कोटा 30, 237 निर्धारित कर रखा है। लेकिन अभी तक हज यात्रियों का आवेदन बहुत कम आया है। इसलिए उत्तर प्रदेश हज यात्रा कमेटी ने हज कमेटी ऑफ इंडिया से अनुरोध किया है कि निर्धारित अंतिम तिथि में वृद्धि की जाए। उत्तर प्रदेश में अब तक 23 हजार आवेदन आए हैं। यह संख्या गत वर्षों की तुलना में सबसे कम है। इससे पूर्व भी हज यात्रियों का आवेदन कम आने के कारण पहले ही अंतिम तिथि में एक बार वृद्धि की जा चुकी है।"

"हज कमेटी के सचिव राहुल गुप्ता के अनुसार 2014-2019 के बीच हज के खर्चे में एक लाख की धनराशि बढ़ी है। उत्तर प्रदेश से हज यात्रा के किराए के आंकड़ों के अनुसार 2014 में ग्रीन यात्रा का किराया 1, 92, 000 था जबकि अजीजिया का किराया 1, 63, 000 था। 2015 में यह बढ़कर क्रमशः 2, 02, 500 और 1, 69, 000 हो गया। 2016 में इसमें और वृद्धि हो गई और यह बढ़कर 2, 18, 000 और 1, 84, 000 तक पहुंच गया। 2017 में यह 2, 36, 000 और 2, 02, 000 तक पहुंच गया। 2018 में यह 2, 60, 000 और 2, 25, 000 तक पहुंच गया। 2019 में यह 2, 90, 000 और 2, 53, 000 तक पहुंच गया। जहां तक हज यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या का सम्बन्ध है उसके अधिकृत आंकड़े इस प्रकार हैं। 2014 में हज का कोटा 24, 707 था जबकि 36, 700 आवेदन प्राप्त हुए। 2015 में कोटा 22, 000 निर्धारित किया गया जबकि 41, 705 आवेदन प्राप्त हुए। 2016 का कोटा था 21, 800 परंतु 48, 708 आवेदन प्राप्त हुए। 2017 का कोटा था 29, 017 जबकि 51, 375 आवेदन प्राप्त हुए। 2018 का कोटा था 29, 851 जबकि 42, 914 आवेदन प्राप्त हुए। 2019 का कोटा 30, 237 निर्धारित किया गया जबकि 34, 357 आवेदन आए।"

अमेरिका की तालिबान से फिर वार्ता की घोषणा

इंकलाब (30 नवम्बर) के अनुसार "अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अचानक अफगानिस्तान में तालिबान के साथ वार्ता की शुरुआत कर दी है। वे अचानक अफगानिस्तान पहुंचे। सुरक्षा कारणों से उनके दौरे को गुप्त रखा गया था। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि तालिबान युद्धविराम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में तैनात सैनिक संख्या घटाकर 8600 कर देगा। इस समय चौदह हजार से अधिक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में तैनात हैं मगर उनकी अधिकृत संख्या नहीं बताई जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या में ज्यादा-से-ज्यादा कमी की जाए। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका ने हमें शांति व्यवस्था बनाए रखने में भारी सहयोग दिया है। तालिबान के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि तालिबान अमेरिका के साथ पुनः वार्तालाप शुरू कर रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ प्रारम्भिक मुलाकातें कतर में हुई हैं जहां पर तालिबान का एक कार्यालय है।"

सहाफत (1 दिसम्बर) ने कहा है कि "अमेरिका के व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति के अफगानिस्तान के दौरे को इसलिए गुप्त रखा था क्योंकि उन्हें इस बात की सूचना

थी कि अफगानिस्तान में अमेरिकी राष्ट्रपति पर घातक हमला हो सकता है। ज्ञातव्य है कि ट्रम्प अचानक गुप्त रूप से अफगानिस्तान के बगराम हवाई अड्डे पर पहुंचे थे और अमेरिकी राष्ट्रपति का अफगानिस्तान का यह दूसरा दौरा है। राष्ट्रपति ने यह आशा व्यक्त की थी कि तालिबान के साथ समझौते की वार्ता पुनः शुरू हो जाएगी। हैरानी की बात यह है कि हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति के अफगान दौरे की कई सप्ताह से तैयारियां की जा रही थी मगर इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी थी। वे अचानक अमेरिका के एक गुप्त हवाई अड्डे से अफगानिस्तान पहुंचे। उनके साथ पत्रकारों का एक दल भी था। वहां जाकर उन्होंने अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की और उनके साथ भोजन भी किया।"

घोटाले के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति को सजा

इंकलाब (30 नवम्बर) के अनुसार मलदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को आर्थिक घोटाले में पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी खजाने से दस लाख डॉलर अपने निजी अकाउंट में ट्रांसफर करवाया था। न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया है

और उनके सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं जिनमें इस समय 65 लाख डॉलर की धनराशि जमा है। यामीन चीन समर्थक माने जाते हैं और वे पांच वर्षों तक सत्ता में रहे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने विदेशों से प्राप्त सहायता में घोटाला किया है। गत वर्ष हुए चुनाव में वे हार गए थे।"

अंतिम मुगल सम्राट का म्यांमार में उर्स

इंकलाब (1 दिसम्बर) के अनुसार "अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का उर्स म्यांमार के नगर रंगून में भारी धूमधाम से मनाया गया। ज्ञातव्य है कि 1857 के विद्रोह के आरोप में फिरंगियों ने बहादुर शाह जफर को निष्कासित करके रंगून भेज दिया था। जफर ने अपनी जिंदगी के अंतिम चार वर्ष अपनी पत्नी जीनत महल के साथ रंगून की सैनिक छावनी में गुजारे थे और अंग्रेजों ने उनकी मौत के बाद उन्हें उनके घर में ही दफन कर दिया था। 1907 में म्यांमार के मुसलमानों ने जीनत महल की कब्र के साथ-साथ एक अन्य कब्र बनाकर उस पर बहादुर शाह जफर के नाम का शिलालेख लगा दिया था जिसमें लिखा था कि इस जगह के समीप ही कही जफर दफन हैं। 1991 में जब इस क्षेत्र में सरकार ने खुदाई की तो वहां पर जफर की असली कब्र भी मिल गई। मौलवी नजीर अहमद इस दरगाह के इमाम और मतवली हैं। म्यांमार से अंग्रेजों के चले जाने के बाद 1948 से जफर का वार्षिक उर्स नियमित रूप से मनाया जा रहा है।"

"म्यांमार के स्थानीय मुसलमान अंतिम मुगल बादशाह को सूफी पीर बाबा जफर शाह के नाम से याद करते हैं। उनका उर्स चार दिन तक मनाया जाता है। कब्र पर फातिहा ख्वानी, कुरान ख्वानी का सिलसिला चलता रहता है और उनकी याद में मुशायरे का आयोजन भी किया जाता है। कव्वाली की महफिल का आयोजन वहां के रहने वाले बच्चा कव्वाल उर्फ शहीदे आलम द्वारा किया जाता है। हालांकि म्यांमार के अधिकांश मुसलमान उर्दू से वाकिफ नहीं हैं लेकिन वे जफर का कलाम जरूर पढ़ते हैं। खदीजा बेगम नामक महिला दो सौ किलोमीटर दूर से अपनी मां के साथ इस उर्स में भाग लेने के लिए आई थीं। म्यांमार में दरगाहों और मजारों पर महिलाओं के जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। म्यांमार सरकार ने इस दरगाह के प्रबंध के लिए एक कमेटी भी बना रखी है। इसमें चार स्थानीय मुसलमान और पांच गैर मुसलमान सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। जफर दिल्ली में महरौली की दरगाह हजरत बख्तियार काकी में अपने पिता की कब्र के पास दफ्न होना चाहते थे और उन्होंने वहां पर अपनी कब्र के लिए एक स्थान भी सुरक्षित किया था जो कि अभी तक खाली पड़ा हुआ है।"

लंदन में जिहादी हमले में दो मरे

इंकलाब (1 दिसम्बर) के अनुसार "लंदन ब्रिज पर दो व्यक्तियों की हत्या करने वाले आतंकवादी की पुलिस ने पहचान कर ली है। हत्यारा 28 वर्षीय उस्मान खान बताया जाता है जिसने जुमा की नमाज के बाद लंदन ब्रिज और उसके समीप चाकू से कई व्यक्तियों पर हमला किया था। इस पर पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। बाद में दो जख्मियों की मौत भी हो गई थी। लंदन पुलिस के अनुसार आक्रमणकारी का नाम उस्मान खान बताया जाता है और वह ब्रिटेन का रहनेवाला है। इस व्यक्ति को 2012 में आतंकवाद के आरोप में पकड़ा गया था और पिछले वर्ष दिसम्बर महीने में जेल से रिहा किया गया था। पुलिस यह पता लगा रही है कि उसने हमले की योजना कहां बनाई थी? लंदन के मेयर सादिक खान ने उन नागरिकों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने आक्रमणकारी से चाकू छीना था। एक अन्य समाचार के अनुसार हॉलैंड के नगर हेग में एक चाकू वाले व्यक्ति ने बाजार में हमला करके कई लोगों को घायल कर दिया। पुलिस आक्रमणकारी की तलाश कर रही है।"

बांग्लादेश में आतंकी हमले के मामले में सात को फांसी

सियासत (28 नवम्बर) के अनुसार "बांग्लादेश की विशेष न्यायालय ने 2016 में ढाका की एक कैफिटेरिया में हुए धमाके के सिलसिले में सात व्यक्तियों को मौत की सजा सुनाई है। ज्ञातव्य है कि इस हमले में 20 लोग मारे गए थे जिनमें एक भारतीय लड़की भी शामिल थी। आतंकवाद विरोधी न्यायालय के विशेष जज ने अपने फैसले में लिखा है कि सभी आरोपियों को उस वक्त तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक इनकी मौत न हो जाए। तमाम आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया था और उस वक्त न्यायालय खचाखच भरी हुई थी। तमाम आरोपियों पर यह आरोप था कि उन्होंने इस घटना के लिए हथियार प्राप्त किए और इन लोगों ने आक्रमणकारियों को सहायता दी। यह धमाका ढाका में गुलशन नामक क्षेत्र में एक बेकरी में हुआ था। आठ लोगों को इस घटना के लिए दोषी ठहराया गया था मगर न्यायालय ने उनमें से एक आरोपी को सबूत न होने के कारण बरी कर दिया है।"

नार्वे में कुरान के अपमान की बढ़ती घटनाएं

इत्तेमाद (25 नवम्बर) के अनुसार "नार्वे में इस्लाम के विरोधियों द्वारा कुरान को जलाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने यह निर्देश दिया है कि सार्वजनिक रूप से कुरान के अपमान की घटनाओं को सख्ती से रोका जाए। पुलिस प्रमुख ने कहा है कि कुरान के खिलाफ वातावरण बनाना देश के वर्तमान कानून के खिलाफ है। नार्वे के संविधान में अनुच्छेद 185 के तहत सभी धार्मिक पुस्तकों जिनमें कुरान भी शामिल है, के अपमान करने पर प्रतिबंध है और इसका उल्लंघन

करने पर दो वर्ष की सजा हो सकती है। पिछले सप्ताह इस्लाम विरोधी संगठन स्टॉप इस्लामिजेशन ऑफ नार्वे नामक संगठन की ओर से एक रैली निकाली गई थी जिसमें कुरान को जलाने का प्रयास किया गया था।"

"इस घटना के बाद नार्वे के मुसलमानों ने इस मामले को न्यायालय में उठाने का फैसला किया है। इन मुसलमानों का नेतृत्व पाकिस्तनी मूल के एक अकाउंटेंट मोहम्मद इल्यिास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को न्यायालय में उठाया जाएगा और सरकार से यह मांग की गई है कि इस्लाम विरोधी संगठनों पर फौरन प्रतिबंध लगाया जाए। नार्वे के गुप्तचर विभाग ने इस बात का संकेत दिया है कि अगर कुरान का अपमान जारी रहा तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। एक मुसलमान उमर धाबा ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने कुरान के अपमान को रोकने के लिए सही समय पर उचित कार्रवाई नहीं की। एक अन्य समाचार के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने नार्वे के राजदूत को बुलाकर उनसे अनुरोध किया है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वहां की सरकार सख्त कार्रवाई करे। राजदूत ने कहा कि कुरान का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और उसे गिरफ्तार किया जा चुका है।"

ईरान में स्थिति विस्फोटक

ईरान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जनाक्रोश दिन-प्रतिदिन विस्फोटक रूप ले रहा है। **रोजनामा राष्ट्रीय सहारा** (4 दिसम्बर) के अनुसार "पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 208 लोग मारे जा चुके हैं जबकि विपक्षी दल मरने वालों की संख्या 450-500 के बीच बता रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्यालय से जारी बयान के अनुसार उनके कार्यकर्ता मरने वालों की वास्तविक संख्या के बारे में खोज खबर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ईरान में सेना और पुलिस ने मकानों की छतों पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों को गोलियों का निशाना बनाया है। इसके अतिरिक्त हेलीकॉप्टरों से भी उन्हें गोली का निशाना बनाया गया है। एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान की सरकारी टेलीविजन ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है कि पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले अनेक प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा सैनिकों ने गोली से उड़ा दिया है। टेलीविजन ने यह भी स्वीकार किया है कि इन प्रदर्शनों का सिलसिला 15 नवम्बर को शुरू हुआ था और इनमें सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं और हजारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान के सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि इन प्रदर्शनों में दो लाख के लगभग लोग शामिल हुए और उन्होंने देश में बैंकों, पुलिस थानों और पेट्रोल पम्पों पर धावा बोलकर उनमें आग लगा दी। ईरानी मिलिशिया पासदाराने इंकलाब को यह निर्देश दिया गया है कि वह प्रदर्शनकारियों का सफाया कर दे। देश में विभिन्न नगरों में हो रहे प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारी ईरान सरकार से त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर बेरोजगार नौजवान हैं जिनकी उम्र 19-26 वर्ष के बीच बताई जाती है। ईरान के उपराष्ट्रपति इशाक जहांगिरी ने यह स्वीकार किया है कि ईरान में इससे पूर्व ऐसा भीषण संकट कभी नहीं आया। ईरान की आर्थिक व्यवस्था के चौपट होने का खतरा पैदा हो गया है।"

सियासत (25 नवम्बर) के अनुसार "ईरान सरकार के प्रवक्ता ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि उनका देश गम्भीर संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के शत्रु और अवसरवादी हैं। वे

विदेशियों के इशारे पर अशांति फैला रहे हैं। इन सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अमेरिका और इजरायल के अतिरिक्त सरकार विरोधी तत्वों का हाथ है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ईरानी मिलिशिया पासदाराने इंकलाब ने छात्रों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान तेज कर दिया है। तेहरान विश्वविद्यालय के कई दर्जन छात्रों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया है। सारे देश में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है और 100 से अधिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने इस बात का खंडन किया है कि प्रदर्शनकारियों को ताकत से कुचला जा रहा है।"

सियासत (25 नवम्बर) ने अपने संपादकीय में अरब जगत में बढ़ते हुए जनाक्रोश पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि "शासकों को रोजी रोटी जैसी बुनियादी मुद्दों को सुलझाने में कोई रुचि नहीं है। इराक और लेबनान में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ रहा है जिसके कारण जनता सड़क पर उतर आई है। लेबनान में जनता 1943 के बाद पहली बार धार्मिक आधार पर विभाजित हो गई है। शिया राजनीति पर हिजबुल्लाह नामक संगठन का वर्चस्व है जिसके कारण ईसाई भी सशस्त्र अभियान चला रहे हैं। सम्प्रदायों में बढ़ती हुई नाराजगी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।"

इराक के प्रधानमंत्री का त्यागपत्र

सहाफत (1 दिसम्बर) के अनुसार "इराक में गत कई सप्ताह से चल रहे जनाक्रोश को देखते हुए प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल माहदी ने अपने पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मैं संसद में अपना त्यागपत्र पेश कर रहा हूं और अब जन प्रदर्शनों और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। माहदी के त्यागपत्र की घोषणा के बाद राजधानी बगदाद में जोरदार जश्न मनाया गया। इससे पूर्व इराक में शिया सम्प्रदाय से संबंधित विद्वानों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल करने की निंदा की थी। माहदी के त्यागपत्र की घोषणा के बाद तहरीर स्क्वायर पर जमा होने वाले प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जाता है कि इराक के प्रधानमंत्री ने शिया धर्म के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली सिस्तानी के निर्देश पर त्यागपत्र दिया है। सिस्तानी ने इराकी जनता को आश्वासन दिलाया था कि उनकी संवैधानिक मांगें पूरी की जाएंगी। अब तक इराक में चल रहे प्रदर्शनों के कारण कम-से-कम चार सौ से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। प्रदर्शनकारी नौकरियों में भर्ती और भ्रष्टाचार उन्मूलन की मांग कर रहे हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार इराक में नई सरकार का गठन किए जाने की सम्भावना है।"

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (1 दिसम्बर) के अनुसार "इराक में प्रदर्शनों के दौरान मारे गए व्यक्तियों का राष्ट्रव्यापी शोक मनाया जा रहा है। नजफ, जीकार और नासिरिया में प्रदर्शनकारियों ने सभी पुलों पर धरना देकर उन्हें बंद कर दिया। मानवाधिकार आयोग ने यह चेतावनी दी है कि इराक में प्रदर्शन और भी उग्र रूप ले सकते हैं। आयोग ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों, कबीलों के नेताओं और धार्मिक नेताओं से अनुरोध किया है कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें ताकि देश में हिंसा को रोका जा सके। जुमा के दिन नजफ और नासिरिया के नगरों में सैनिकों द्वारा गोली चलाने से कम-से-कम 70 लोग मारे जा चुके हैं। इस घटना के बाद नासिरिया के पुलिस प्रमुख जैदान अल कुरैशी से त्यागपत्र मांग लिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खुमैनी ने आरोप लगाया है कि इराक की सरकार प्रदर्शनकारियों को ईरान के खिलाफ भड़का रही है और नजफ स्थित ईरानी महावाणिज्य दूतावास पर जो हमला हुआ है उसके पीछे सरकार का हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि नजफ में ईरानी दूतावास पर हमले करने के सिलसिले में कम से कम 21 लोग मारे गए हैं।"

इंकलाब ने 1 दिसम्बर के सम्पादकीय में इराक के प्रधानमंत्री के त्यागपत्र का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे गृहयुद्ध का खतरा टल जाएगा। समाचारपत्र ने लिखा है कि

बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ इराक की जनता कई महीनों से विरोध प्रकट कर रही थी। इमाम हुसैन के चहल्लुम की वजह से क्योंकि करोड़ों शिया यात्री इराक आते हैं जिसके कारण जन प्रदर्शनों की खबरें दब गई थीं। मगर इस महीने के प्रारम्भ में वहां पर हिंसा फिर शुरू हो गई और इराकी नौजवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सरकारी अधिकारियों और भवनों पर हमले शुरू कर दिए। सरकारी अनुमान के अनुसार वहां पर 400 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह पर सैनिकों को भी चाकू मारा है। इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पश्चिमी देशों की मीडिया ने काफी जोरदार प्रचार किया। नजफ में जो हिंसा हुई है उसके पीछे किसी तरह की इस्लामी फिरकों की साजिश नहीं हो सकती। क्योंकि नजफ में शिया बहुसंख्यक हैं। ऐसा लगता है कि पश्चिमी देश शिया-सुन्नी विवाद को बढ़ाकर इस्लामिक जगत में भाईचारे को समाप्त करवाना चाहते हैं।"

"इससे पूर्व इजरायल ने इराक की जनता के अस्त्र-शस्त्रों के भंडारों पर भी मिसाइलों से हमला किया था। क्योंकि इजरायल को यह लग रहा था कि इराक की मिलिशिया के लोग लेबनान के इस्लामिक संगठन हिजबुल्लाह की सहायता करना चाहते हैं। यह सोचने की बात है कि इराक में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और महंगाई से ईरान का क्या सम्बन्ध हो सकता है लेकिन इराक में ईरान के जो विरोधी तत्व हैं वे यह निरंतर आरोप लगा रहे हैं कि ईरानी सरकार इराक के संसाधनों का शोषण कर रही है। हालांकि इराक कोई बड़ी मार्केट नहीं है जिससे ईरान को कोई लाभ हो। न ही ईरान का तेल इराक के रास्ते से दूसरे देशों को जाता है। इराक में अमेरिकी सेना और गुप्त संगठन भारी संख्या में मौजूद हैं और वह ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में संकट पैदा करना चाहते हैं। इसके विपरीत ईरान से प्रतिदिन इराक जाने वाले हजारों धार्मिक यात्री इराक के व्यापारियों, होटल मालिकों और टूर ऑपरेटरों के लिए आय का बहुत बड़ा साधन हैं। इजरायल और अमेरिका इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इराक और ईरान के सम्बन्धों में तनाव आए। हालांकि इन दोनों देशों में शिया बहुसंख्यक हैं। ऐसी स्थिति में यह संतोष की बात है कि इराक के शिया धार्मिक नेता के निर्देश पर वहां के प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की है।"

लीबिया और तुर्की का सैनिक गठबंधन

सहाफत (1 दिसम्बर) के अनुसार "तुर्की ने लीबिया के साथ सैनिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत दोनों देश समुद्र की रक्षा और सैनिक सहयोग करेंगे। इस समझौते के कारण भूमध्य सागर के क्षेत्र में तनाव बढ़ने की सम्भावना है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि तुर्की उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ सम्बन्धों को सुदृढ़ करके उन देशों के ऊर्जा भंडारों तक पहुंचना चाहता है। यह समझौता इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि लीबिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की समर्थक सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि उन्हें गत आठ महीनों से आंतरिक संकट का सामना करना पड़ा है। इस साल के अप्रैल महीने से वहां पर गृहयुद्ध हो रहा है और एक सैनिक उच्चाधिकारी की लीबियन नेशनल आर्मी ने राजधानी पर कब्जा करने के लिए अभियान छेड़ा हुआ है। मगर उसकी सेनाओं का जबर्दस्त मुकाबला किया जा रहा है। हालांकि उसे सऊदी अरब और मिस्र जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थक सरकार को तुर्की सहायता दे रहा है।"

"तुर्की के प्रवक्ता ने कहा है कि तुर्की और लीबिया के बीच सैनिक सहयोग बढ़ने के कारण वहां की जनता को जंग के खतरे से मुक्ति मिलेगी। स्थानीय समाचारपत्र 'सबा' के अनुसार लीबिया के साथ हुए समझौते के बाद तुर्की की सीमाएं अफ्रीका की ओर बढ़ गई हैं। इस समझौते की निंदा यूनान के विदेश मंत्री ने की है और कहा है कि इससे भूमध्य सागर के देशों में खतरा बढ़ गया है। हाल ही में तुर्की ने साइप्रस के समीप जो तेल और गैस की खोज की है उसके कारण तुर्की और साइप्रस में तनाव बढ़ा है और इस विवाद में यूरोपियन यूनियन भी शामिल हो गई हैं। तुर्की अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरा करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में तेल और गैस तलाश कर रहा है।"

इजरायली प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप

सियासत (29 नवम्बर) के अनुसार "इजरायल के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री पर न्यायालय ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और जनता की आस्था को चोट पहुंचाने के आरोप में चार्जशीट दायर कर दिया है। इजरायल सरकार के अटॉर्नी जनरल ने देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर तीन महीने की जांच करने के बाद चार्जशीट लगाई है। उन पर उस वक्त चार्जशीट लगाई गई है जब उन्हें देश के राष्ट्रपति ने इस वर्ष हुए दूसरे मतदान के बाद विभिन्न दलों के साथ मिलकर संयुक्त सरकार बनाने का निर्देश दिया है। इजरायल के इतिहास में यह पहला अवसर है जब दो बार आम चुनाव हुए हों। पहली बार चुनाव अप्रैल महीने में हुए थे। जिसमें किसी को बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद सितम्बर में पुनः चुनाव हुए। हालांकि दोनों चुनावों में नेतन्याहू को ज्यादा मत मिले मगर वह स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सके थे। इसलिए उन्हें छह महीने बाद अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। उनपर काफी समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे जो कि जांच करने पर काफी गम्भीर पाए गए हैं। अब उनके खिलाफ पुलिस और गुप्तचर विभाग विस्तृत जांच करेगा और न्यायालय में उनके खिलाफ मुकदमें की सुनवाई होगी। हालांकि अभी तक यह घोषणा नहीं की गई है कि न्यायालय में कब से उनके खिलाफ मुकदमें की सुनवाई शुरू हो रही हैं।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (4 दिसम्बर) के अनुसार "इजरायल के प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के जिन आरोपों की जांच हो रही है उसके सम्बन्ध में इजरायल की संसद में विवरण पेश किया गया है। इस मुकदमें में 333 गवाह शामिल हैं और चार्जशीट सरकारी तौर पर संसद को भेजी जा चुकी है। इसके खिलाफ अपील करने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री के पास एक महीने का समय है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण कुछ लोग उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं। इजराइल के संविधान में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है कि यदि किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा न्यायालय में चल रहा हो तो उसे पद से त्यागपत्र देना

अनिवार्य होगा।"

"जानकार सूत्रों के अनुसार उनके खिलाफ मुकदमें की सुनवाई करने के लिए एक तीन सदस्यीय न्यायालय का गठन किया जा रहा है। क्योंकि इस मुकदमें में सैकड़ों गवाह हैं। इसलिए यह मुकदमा कई वर्ष तक चलते रहने की सम्भावना है। आरोपों के अनुसार नेतन्याहू ने लोगों पर दबाव डालकर उनसे बेशकीमती तोहफों की मांग की और वसूल भी किया। एक अन्य आरोप के अनुसार नेतन्याहू ने एक इजरायली समाचारपत्र के मालिक से यह वायदा किया था कि वे उसके विरोधी समाचारपत्र पर दबाव डालकर उसे बंद करवाने का प्रयास करेंगे। एक अन्य आरोप यह भी है कि उन्होंने इजरायली संचार मंत्री को पचास करोड़ डॉलर का अनुचित लाभ पहुंचाया। एक अन्य कम्पनी को रिश्वत देकर चुनाव अभियान में अपने पक्ष में प्रचार भी करवाया।"

सुरक्षा परिषद में इस्लामिक प्रतिनिधित्व पर चिंता

इंकलाब (30 नवम्बर) के अनुसार "तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस्लामिक देशों का प्रतिनिधित्व नाम मात्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान तंत्र अन्याय पर आधारित है और उसे वर्तमान स्वरूप में ज्यादा दिन तक जारी नहीं रखा जा सकता। फिलिस्तीनी सूचना केन्द्र के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। सच्चाई यह है कि विश्व के पौने दो अरब मुसलमानों का संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके लिए यह जरूरी है कि मुसलमानों को उनका जायज हक देकर उनके विश्वास को जीता जाए। उन्होंने इस बात पर भी खेद प्रकट किया कि इस्लामिक जगत के विभिन्न देशों में आपसी मतभेद हैं जिसके कारण हमारी शक्ति कमजोर हुई है। मुसलमान पूरी दुनिया की आबादी का 24 प्रतिशत हैं मगर व्यापारिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी पौने आठ प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने कहा कि सभी इस्लामिक देशों को इस्लामिक फोबिया विरोधी दिवस मनाना चाहिए।"

सियासत (28 नवम्बर) के अनुसार "तुर्की के

आज दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को आतंकवाद और गृहयुद्ध का सामना करना पड़ रहा है और सबसे खास बात यह है कि दुनिया भर में मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना में दिन-प्रति-दिन वृद्धि होती जा रही है। आतंकवादी संगठन हमारी मस्जिदों, हमारे बाजारों और हमारे स्कूलों को निशाना बना रहे हैं।

राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने एक विवादित बयान देकर नई सनसनी पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमान, उनकी मस्जिदें और उनके मदरसे पश्चिमी देशों के निशाने पर हैं। आज दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को आतंकवाद और गृहयुद्ध का सामना करना पड़ रहा है और सबसे खास बात यह है कि दुनिया भर में मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना में दिन-प्रति-दिन वृद्धि होती जा रही है। आतंकवादी संगठन हमारी मस्जिदों, हमारे बाजारों और हमारे स्कूलों को निशाना बना रहे हैं। उनका इशारा उन संगठनों की ओर था जो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद की ज्वाला भड़का रहे हैं। उन्होंने यह भी शिकायत की कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण मुसलमान कमजोर और निष्क्रिय हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में एक भी मुस्लिम देश सदस्य नहीं है। इससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि आज मुसलमानों की क्या दुर्गति है? जब सुरक्षा परिषद में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है तो वह मुसलमानों के हितों की चर्चा कैसे करेगा? इसलिए यह जरूरी है कि मुसलमानों को स्वयं पर विश्वास करना चाहिए और किसी पर भरोसा करने की बजाय अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन की तरह हमें अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को मुसलमानों की समस्याओं पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं है। यही कारण है कि उसने बोस्निया और हर्जिगोविना की समस्याओं की उपेक्षा की है। इसी तरह सीरिया और रवांडा को भी नजरअंदाज किया जा रहा है।"

"जरूरत इस बात की है कि विश्व की जनसंख्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन किया जाए। अब मुसलमानों को दुनिया को इंसाफ दिलाने वाली ताकत के रूप में सामने आना होगा। अगर इस्लाम को जिंदा रखना है तो सभी मुस्लिम देशों को अपने सभी साधनों का तकनीकी, तिजारती, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों के पास योग्यता तो है मगर वे उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। जहां तक तुर्की का सम्बन्ध है उसने हमेशा पश्चिम की ओर से मुसलमानों को निशाना बनाने का विरोध किया है। उन्होंने दुनिया के मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे फिलिस्तीनियों के अधिकारों की रक्षा और इजरायल के उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट हो जाएं और यह तय कर लें कि वे अब इजरायल को भविष्य में किसी भी मुस्लिम देश के साथ किसी तरह की नाइंसाफी और उत्पीड़न नहीं करने देंगे।"

सीरिया में धमाके से सत्रह मरे

सियासत (28 नवम्बर) के अनुसार "सीरिया में एक कार बम धमाके में सत्रह व्यक्ति मारे गए और बीस घायल हो गए। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह धमाका रास अल-ऐन के पश्चिम स्थित गांव में हुआ जो कि अक्टूबर महीने से तुर्की की सेना के नियंत्रण में है। यह धमाका गांव के बाजार में हुआ जिससे कई वाहन उड़ गए। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस धमाके की जिम्मेवारी कुर्दिस पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट ने ली है जिसे तुर्की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का एक हिस्सा करार देता है। इस संगठन पर आरोप है कि वह 1984 से सीरिया पर तुर्की हमलों का विरोध कर रहा है। तुर्की सरकार ने आतंकवादी गतिविधि की आलोचना करते हुए कहा है कि मरने वालों में कुछ बच्चे भी शामिल है। मानवाधिकार संगठन के अनुसार मरने वालों की संख्या 11 बताई गई है।"

सऊदी हेलीकॉप्टर गिराया गया

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (30 नवम्बर) के अनुसार "यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने मिसाइल द्वारा सऊदी अरब के एक युद्धविमान को गिरा दिया है। जिसके कारण इस हेलीकॉप्टर में सवार दो चालक मारे गए हैं। विद्रोहियों के प्रवक्ता ने यह दावा किया कि उनकी सेना ने भूमि से हवा में मार करने वाले एक मिसाइल की सहायता से एक हेलीकॉप्टर को गिराया है। प्रवक्ता ने कहा कि हम अपनी वायु सीमा का किसी को भी उल्लंघन नहीं करने देंगे। विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने स्वयं ऐसी व्यवस्था विकसित कर ली है जिसके कारण कोई भी विदेशी आक्रमण उनकी वायु सीमा में नहीं किया जा सकता। ज्ञातव्य है कि बोइंग कम्पनी ने जनवरी 1984 में अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना के लिए बनाए थे और अब तक वह 2200 हेलीकॉप्टर विभिन्न देशों को बेच चुकी हैं। 16 फीट उंचे और 18 फीट चौड़े इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए दो चालकों की आवश्यकता होती है और इसकी गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह 16 टैंक तोड़ने वाले मिसाइल फेंक सकता है एवं इसमें 12 हजार गोलियां भरी जा सकती हैं।"

सऊदी अरब में महिला मॉडल

सियासत (29 नवम्बर) के अनुसार "सऊदी अरब में सामाजिक परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहे हैं। हाल ही में वहां पर एक फैशन वीक का आयोजन भी किया गया है और 35 वर्ष के बाद अनेक सिनेमा हॉल भी खोल दिए गए हैं। हालांकि महिलाओं के लिए ड्राइविंग पर पाबंदी दो वर्ष पूर्व ही हटा ली गई थी मगर इस वर्ष उन्हें पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए हैं। सऊदी अरब में पहली प्लस साइज महिला मॉडल को टीवी पर भी पेश किया जा रहा है। सऊदी सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि देश के द्वार गैर-मुस्लिम पर्यटकों के लिए भी खोल दिए जाएं।"

"इसके अतिरिक्त इन पर्यटकों को यह भी सुविधा दी गई है कि वे किसी भी महिला के साथ एक होटल में कमरा लेकर एक साथ ठहर सकते हैं। हाल ही में सऊदी अरब में एक फैशन शो का आयोजन किया गया है जिसमें अनेक मॉडलों ने भाग लिया। इस शो में सबसे मोटी महिला मॉडल का भी चयन किया गया है। यह महिला गत कई वर्षों से विदेशों में मॉडलिंग करती आ रही है। अरब न्यूज के अनुसार गालिया अमीन को सबसे मोटी मॉडल होने का सम्मान मिला है। सऊदी अरब में महिलाओं ने भी टेलीविजन पर एंकर के रूप में आना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त मॉल्स में भी उन्हें सेल्स गर्ल के रूप में कार्य करने की अनुमति दी हुई है।"

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कोर्ट में छह सांसद मनोनीत

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (30 नवम्बर) के अनुसार "अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक्ट के तहत हुए चुनाव में छह सांसद विजयी घोषित किए गए हैं। इनमें बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दानिश अली, मुस्लिम लीग के ई.टी. मोहम्मद बशीर, भाजपा के सतीश गौतम, डॉ. संघमित्र मौर्य, भोला सिंह और राजवीर सिंह के नाम शामिल हैं। चुनाव के लिए आठ व्यक्तियों ने नामांकन पत्र भरे थे मगर बाद में इनमें से दो सांसदों अब्दुल हमीद आरिफ और मोहम्मद सादिक ने अपना नाम वापस ले लिया। जो छह सांसद चुने गए हैं उनमें से चार पहले भी कोर्ट के सदस्य रह चुके हैं। इनमें केरल के ई.टी. मोहम्मद बशीर, अलीगढ़ के सांसद सतीश कुमार गौतम, एटा के सांसद राजवीर सिंह और बुलंद शहर के सांसद भोला सिंह के नाम शामिल हैं।"

पुलिस लाइन में नमाज पर विवाद

सहाफत (1 दिसम्बर) के अनुसार "उत्तर प्रदेश के जिला फतेहगढ़ के थाना सिटी कोतवाली में स्थित मस्जिद में पाबंदी लगने के बावजूद जुमा की नमाज को पढ़ने के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तीन नेताओं के खिलाफ साम्प्रदायिक घृणा फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। अतिरिक्त पुलिस कप्तान सुरेन्द्र द्विवेदी ने बताया कि पुलिस लाइन मस्जिद में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी व्यक्ति के नमाज पढ़ने पर रोक है। इसके बावजूद एआईएमआईएम के तीन नेता इसरार अहमद, सुजातुल्लाह और जफरूल हुसैन अपने समर्थकों के साथ जबरन मस्जिद में घुस गए और उन्होंने वहां नमाज अदा की। जफरूल हुसैन ने संवादादाताओं को बताया कि अंग्रेजों के समय से इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन वर्तमान पुलिस कप्तान ने साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के कारण इस मस्जिद में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जुमा को हमने इस प्रतिबंध का विरोध किया और वहां पर घुसकर नमाज अदा की जिस पर पुलिस के साथ हमारी झड़पें हुईं। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा।"

महिलाओं की सामूहिक नमाज पर फतवा

सियासत (29 नवम्बर) के अनुसार "मुफ्ती मोहम्मद अजीम खान ने फतवा दिया है कि महिलाएं एक समूह के रूप में नमाज अदा नहीं कर सकती हैं। उन्होंने अपने फतवे में कहा है कि जमात के रूप में नमाज अदा करने की व्यवस्था सिर्फ पुरूषों के लिए ही है। अगर महिलाएं सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने के लिए घरों से निकलती हैं तो उससे समाज में बिगाड़ और दंगा हो सकता है। इसलिए सामूहिक रूप से महिलाओं के लिए नमाज अदा करना जायज नहीं है। फतवे में यह भी कहा गया है कि जब महिलाओं पर मस्जिद में दाखिल होने और सामूहिक रूप से नमाज अदा करने पर प्रतिबंध है तो उन्हें किसी भी तरह की नमाज में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इसलिए शरीया में यह साफ है कि महिलाओं को मस्जिदों में जाकर नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यह अल्लाह को पसंद नहीं है।"

वंदे मातरम की खिलाफत

इत्तेमाद (29 नवम्बर) के अनुसार "तेलंगाना के शिक्षाधिकारी ने यह निर्देश दिया है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अनिवार्य रूप से वंदे मातरम गाया जाए। इस फैसले की आलोचना करते हुए तेलंगाना जमाते इस्लामी के प्रमुख हामिद मोहम्मद खान ने कहा है कि शिक्षाधिकारी का यह निर्देश असंवैधानिक है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ है। इसके अतिरिक्त यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के भी खिलाफ है। वंदे मातरम के सिलसिले में मुसलमान यह समझते हैं कि उसके शब्द और भाव उनकी आस्था के विपरीत है। भारतीय संविधान में प्रत्येक धर्म के अनुयायी को अपने धर्म का अनुसरण करने की आजादी दी गई है। इस तरह से कोई अधिकारी मुसलमानों को जबरन वंदे मातरम का पाठ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने मांग की है कि इस आदेश को फौरन वापस लिया जाए। क्योंकि इससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उन्होंने राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करके इस निर्देश को रद्द कराएं।"

नहीं थम रहा है तीन तलाक

इत्तेमाद (20 नवम्बर) के अनुसार "हैदराबाद पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ तीन तलाक का मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि यह व्यक्ति अपनी पत्नी को काफी परेशान कर रहा था क्योंकि उसके यहां सिर्फ बेटियां ही पैदा हुई थीं। आखिर में उससे मुक्ति पाने के लिए उसने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। 28 वर्षीय महिला ने पुलिस में रपट दर्ज कराई है कि 2011 में उसका विवाह हुआ था और विवाह के तुरंत बाद उसके ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था क्योंकि वह उनकी आशा के अनुरूप दहेज नहीं लाई थी। इसी दौरान इस महिला ने एक लड़की को जन्म दिया जिसके बाद उसे और भी परेशान किया जाने लगा। शिकायत के आधार पर मुस्लिम महिला कानून से सम्बन्धित धाराओं के तहत दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।"

सियासत के अनुसार (20 नवम्बर) "ओल्ड सफैल गौडा की निवासी मेहराज बेगम ने यह रपट अपने पति मोहम्मद दस्तगीर के खिलाफ दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया है कि उसके पति ने उस पर ब्लेड से भी हमला किया था। इससे पूर्व इस महिला ने अपने पति के खिलाफ मारपीट के आरोप में एक रपट दर्ज कराई थी जिस पर पुलिस ने इन दोनों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया था मगर थाने से निकलते ही इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया।"

विश्लेषण हेतु उर्दू समाचार-पत्रों की सूची

1. दावत, दिल्ली
2. दैनिक इंकलाब, दिल्ली
3. अखबार-ए-मशरिक, दिल्ली
4. दैनिक सहाफत, दिल्ली
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली
6. हिंदुस्तान एक्सप्रेस, दिल्ली
7. हिंद समाचार, जालंधर
8. दैनिक प्रताप, जालंधर
9. दैनिक मुंसिफ, हैदराबाद
10. दैनिक सियासत, हैदराबाद
11. दैनिक हमारा समाज, दिल्ली
12. आल्मी सहारा, दिल्ली
13. औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
14. जदीद मरकज़, लखनऊ
15. साप्ताहिक नई दुनिया, दिल्ली
16. दैनिक इत्तेमाद, हैदराबाद
17. जदीद मेल, दिल्ली
18. सियासी तकदीर, दिल्ली
19. उर्दू, एक्शन, भोपाल
20. साप्ताहिक चौथी दुनिया, दिल्ली
21. साप्ताहिक अखबार नव, दिल्ली
22. दैनिक मिलाप, दिल्ली
23. कौमी तंजीम, पटना
24. दैनिक जदीद ख़बर, दिल्ली

आप अपनी राय, जानकारियां, उर्दू पत्रों से समाचार प्रतिष्ठान को भेजें। संपादक मंडल उसे अगले अंकों में संपादकीय नीति के तहत स्थान देने का प्रयास करेगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

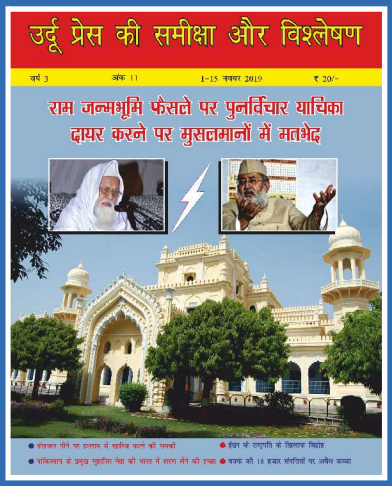

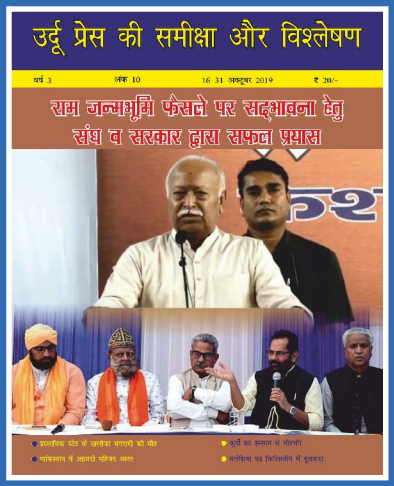

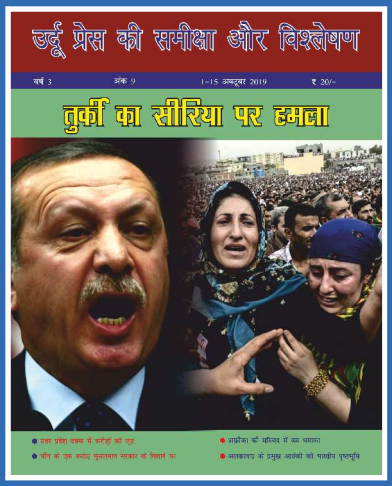

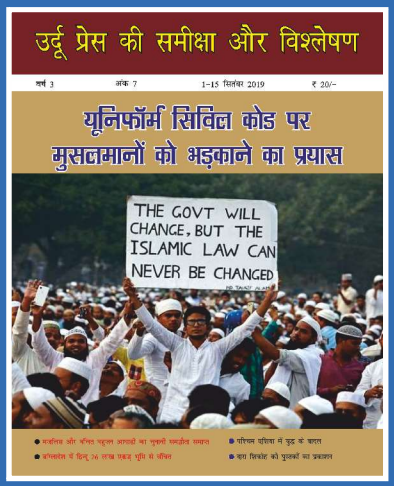

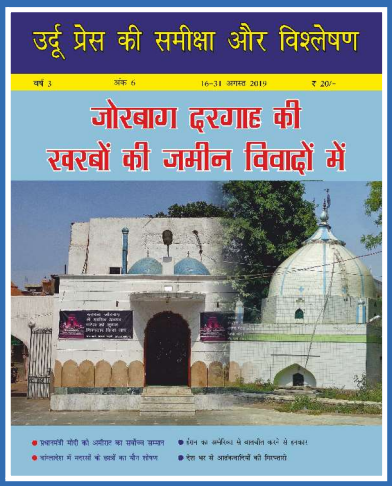

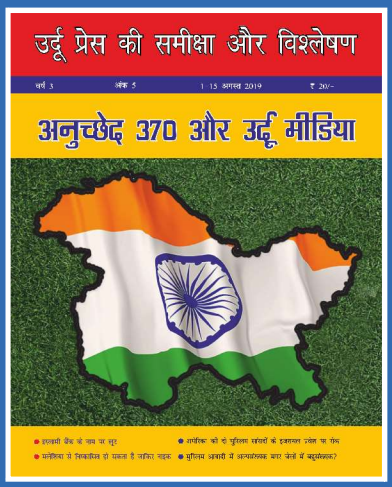

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
प्रदीपयेम जगत् सर्वम्
डी–51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018 • फैक्स : 011–46089365
ईमेल: info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com, वेबसाइट: www.ipf.org.in